बिहार सरकार

परिवहन विभाग

सं0सं0–02/कर माफी–01/2015 परि0

आदेश

पटना, दिनांक–

जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–2023 दिनांक–23.05.2017 के साथ संलग्न कर माफी अभिलेख संख्या–1/2017–18 दिनांक–22.05.2017 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामा घाट के दो नये वाहन 42 Seater Star Bus के सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड सहित कुल 8,18,350.00/– (आठ लाख अठारह हजार तीन सौ पचास) रुपये के कर विमुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या–910, दिनांक–23.02.2004 के आलोक में किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी है। वाहनों से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	इंजन सं0	चेचिस सं0	टैक्स की अवधि	कुल रोड टैक्स की राशि (रुपये में)
1.	42 Seater Star Bus	CRI6-64KTY112487	MAT373527G0N10736	Road Tax- fine- RSF-	Rs. 7,80,000 .00 Rs. 29,250.00 Rs. 9,100.00
2.	42 Seater Star Bus	CRI6-64KTY112031	MAT373527G0K09199		
				TOTAL=	**8,18,350.00**

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–910 दिनांक–23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के कर माफी अभिलेख संख्या–1/2017–18 दिनांक–22.05.2017 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट के उपर्युक्त वाहन के लिए की गई अनुशंसा एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–910 दिनांक–23.02.2004 के आलोक में संगणित कुल कर **8,09,250.00/–(आठ लाख नौ हजार दो सौ पचास) रूपये** की विमुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा। साथ ही बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

निबंधित

ज्ञापांक–02/कर माफी–01/2015 परि0 3203 पटना, दिनांक– 13/6/17

E-mail

प्रतिलिपि – जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय/ पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।